

No.DOPT-1667820093974
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training
AVD(AVD-IA)

North Block, New Delhi
Dated 28 September, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Grant of 'Vigilance Clearance' to AIS Officers & Central Civil Services/Central Civil posts

D/o Personnel & Training (DoPT) has from time to time issued instructions / guidelines regarding grant of Vigilance Clearance to AIS officers & Central Civil Services/Central Civil posts. An effort has been made to consolidate and update the said guidelines at one place for better understanding and guidance, which are as follows:

2. Part A-Grant of Vigilance Clearance to AIS Officers

(i) These orders regarding accordance of vigilance clearance to AIS officers shall be applicable with respect to (a) inclusion in the offer list (b) empanelment (c) any deputation for which Central Government clearance is necessary, including deputation under Rule 6(1) and 6(2)(ii) of the AIS (Cadre) Rules (d) appointments to sensitive posts (e) assignments to training programmes (except mandatory training) (f) premature repatriation to the cadre. In all these cases, the vigilance status may be placed before and considered by the Competent Authority before a decision is taken.

(ii) The circumstances under which vigilance clearance shall not be withheld shall be as under:

- a. Vigilance clearance shall not be withheld due to the filing of a complaint, unless it is established on the basis of at least a preliminary inquiry or on the basis of any information that the concerned Government may already have in its possession, that there is, prima facie, substance to verifiable allegations regarding (i) Corruption (ii) Possession of assets disproportionate to known sources of income (iii) Moral turpitude (iv) violation of AIS Conduct Rules.
- b. Vigilance clearance shall not be withheld if a preliminary inquiry mentioned in 2(ii)(a) above takes more than three months to be completed.
- c. Vigilance clearance shall not be withheld unless (i) the officer is under suspension (ii) the officer is on the Agreed List, provided that in all such cases the position shall be mandatorily revisited after a period of one year (iii) a chargesheet has been issued against the officer in a disciplinary proceeding and the proceeding is pending (iv) orders for instituting disciplinary proceeding against the officer have been issued by the Disciplinary Authority, provided that the chargesheet is served within three months from the date of passing such order (v) chargesheet has been filed in a Court by the Investigating Agency in a criminal case and the case is pending (vi) orders for instituting a criminal case against the officer have been issued by the Disciplinary Authority, provided that the chargesheet is served within three months from the date of initiating proceedings (vii) sanction for investigation or prosecution has been granted by the Competent Authority in a case under the PC Act or any other criminal matter (viii) an FIR has been filed or a case registered by the concerned Government against the officer, provided that the charge sheet is served within three months from the date of filing/registering the

FIR/case (ix) the officer is involved in a trap/raid case on charges of corruption and investigation is pending.

- d. Vigilance clearance shall not be withheld due to an FIR filed on the basis of a private complaint unless a chargesheet has been filed by the investigating agency, provided that there are no directions to the contrary by a competent court of law.
- e. Vigilance clearance shall not be withheld even after sanction for prosecution if the investigating agency has not been able to complete its investigations and file charges even after a period of two years. However, such vigilance clearance will entitle the officer to be considered only to be appointed to non-sensitive posts and premature repatriation to the cadre and not for any other dispensation listed in Para 2(i) above.
- f. Vigilance clearance shall be denied to an officer if he fails to submit his annual Immovable Property Return of the previous year latest by 31st January of the following year, as required under Government of India decisions under Rule 16 of the All India Services (Conduct) Rule, 1968.

(iii) In cases where complaints have been referred to the State, and no substantive response has been received from the State within three months from the date on which the reference was made, the Cadre Controlling Authority may provide a copy of the complaint to the officer concerned to seek his comments. If the comments are found to be prima facie satisfactory by the Competent Authority, vigilance clearance shall be accorded.

(iv) Vigilance clearance shall be decided on a case-by-case basis by the Competent Authority keeping in view the sensitivity of the purpose, the gravity of the charges and the facts and circumstances, in the following situations:

- a. Where the investigating agency has found no substance in the allegation but the Court refuses to permit closure of the FIR.
- b. Where the Investigating Agency/ IO holds the charges as proved but the State Government differs on the converse.

(v) While considering cases for grant of vigilance clearance for the purpose of empanelment of AIS officers of a particular batch, the vigilance clearance/status will continue to be ascertained from the respective State Government. In respect of officers serving in connection with the affairs of the Central Government, the vigilance status/clearance will be obtained from the respective Ministry. In all cases, the comments of the CVC will also be obtained. However, if no comments are received within a period of three months, it will be presumed that there is nothing adverse against the officer on the records of the body concerned.

(vi) Vigilance clearance will be issued in all cases with the approval of the Head of Vigilance Division for officers up to one level below their seniority in service. In the case of officers of the level of Additional Secretary/Secretary, this will be issued with the approval of the Secretary. In case of doubt, order of Secretary will be obtained keeping in view the purpose for which the 'vigilance clearance' is required by the indenting authority.

(vii) Vigilance clearance will not normally be granted for a period of three years after the currency of the punishment, if a minor penalty has been imposed on an officer. In case of imposition of a major penalty, vigilance clearance will not normally be granted for a period of five years, after the currency of punishment. During the period, the performance of the officer should be closely watched.

3. **Part B- Grant of Vigilance Clearance to members of Central Civil Services/Central Civil posts**

(i) These orders regarding accordance of vigilance clearance to members of the Central Civil Services/posts shall be applicable with respect to (a) empanelment (b) any deputation for which clearance is necessary (c) appointments to sensitive posts and assignments to training programmes (except mandatory training). In all these cases, the vigilance status may be placed before and, considered by the Competent Authority before a decision is taken.

(ii) The circumstances under which vigilance clearance shall not be withheld shall be as under:

- a. Vigilance clearance shall not be withheld due to the filing of a complaint, unless it is established on the basis of at least a preliminary inquiry or on the basis of any information that the concerned Department may already have in its possession, that there is, prima facie, substance to verifiable allegations regarding (i) Corruption (ii) Possession of assets disproportionate to known sources of income (iii) Moral turpitude (iv) violation of CCS (Conduct) Rules, 1964.
- b. Vigilance clearance shall not be withheld if a preliminary inquiry mentioned in 3(ii)(a) above takes more than three months to be completed.
- c. Vigilance clearance shall not be withheld unless (i) the officer is under suspension (ii) the officer is on the Agreed List, provided that in all such cases the position shall be mandatorily revisited after a period of one year (iii) a chargesheet has been issued against the officer in a disciplinary proceeding and the proceeding is pending (iv) orders for instituting disciplinary proceeding against the officer have been issued by the Disciplinary Authority, provided that the chargesheet is served within three months from the date of passing such order (v) chargesheet has been filed in a Court by the Investigating Agency in a criminal case and the case is pending (vi) orders for instituting a criminal case against the officer have been issued by the Disciplinary Authority, provided that the chargesheet is served within three months from the date of initiating proceedings (vii) sanction for investigation or prosecution has been granted by the Competent Authority in a case under the PC Act or any other criminal matter (viii) an FIR has been filed or a case registered by the concerned Department against the officer, provided that the charge sheet is served within three months from the date of filing/registering the FIR/case (ix) the officer is involved in a trap/raid case on charges of corruption and investigation is pending.
- d. Vigilance clearance shall not be withheld due to an FIR filed on the basis of a private complaint unless a chargesheet has been filed by the investigating agency, provided that there are no directions to the contrary by a competent court of law.
- e. Vigilance clearance shall not be withheld even after sanction for prosecution if the investigating agency has not been able to complete its investigations and file charges within a period of two years. However, such vigilance clearance will entitle the officer to be considered only to be appointed to non-sensitive posts and premature repatriation to the parent cadre in case the officer is on deputation and not for any other dispensation listed in Para 3(ii)(a) above.
- f. Vigilance clearance shall be denied to an officer if he fails to submit his annual Immovable Property Return of the previous year latest by 31st January of the following year, as required under Government of India decisions under Rule 18 of CCS (Conduct) Rule, 1964.

(iii) In cases where complaints have been referred to the administrative authority concerned, and no substantive response has been received from such administrative authority concerned within three months from the date on which the reference was made, the Disciplinary Authority may provide a copy of the complaint to the officer concerned to seek his comments. If the comments are found to be prima facie satisfactory by the Competent Authority, vigilance clearance shall be accorded.

(iv) Vigilance clearance shall be decided on a case-by-case basis by the Competent Authority keeping in view the sensitivity of the purpose, the gravity of the charges and the facts and circumstances, in the following situations:

- a. where the investigating agency has found no substance in the allegation but the Court refuses to permit closure of the FIR; and
- b. where the investigating agency/ inquiry officer holds the charges as proved but the Competent Administrative Authority differs on the converse.

(v) While considering cases for grant of vigilance clearance for the purpose of empanelment of members of the Central Civil Services/Central Civil posts of a particular batch, the vigilance clearance/status will continue to be ascertained from the respective Cadre Authority. In all such cases, the comments of the Central Vigilance Commission will be obtained. However, if no comments are received within a period of three months, it will be presumed that there is nothing adverse against the officer on the records of the body concerned.

(vi) Vigilance clearance will be issued in all cases with the approval of the Head of Vigilance Division for officers up to one level below their seniority in service. In the case of officers of the level of Additional Secretary/Secretary, this will be issued with the approval of the Secretary. In case of doubt, order of Secretary will be obtained keeping in view the purpose for which the 'vigilance clearance' is required by the indenting authority.

(vii) Vigilance clearance will not normally be granted for a period of three years after the currency of the punishment, if a minor penalty has been imposed on an officer. In case of imposition of a major penalty, vigilance clearance will not normally be granted for a period of five years, after the currency of punishment. During the period, the performance of the officer should be closely watched.

(viii) Insofar as the personnel serving in the Indian audit and accounts Department are concerned, these instructions have been issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Sign of Authority)
Rupesh Kumar
Under Secretary
23094799

सं.डीओपीटी-1667820093974

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

एवीडी (एवीडी-1 क)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 28 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अ.भा.से. अधिकारियों और केंद्रीय सिविल सेवाओं/केंद्रीय सिविल पदों के लिए सतर्कता निकासी प्रदान किया जाना।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने समय-समय पर अ.भा.से. अधिकारियों और केंद्रीय सिविल सेवाओं/केंद्रीय सिविल पदों को सतर्कता निकासी प्रदान करने के संबंध में अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। बेहतर समझ और मार्गदर्शन के लिए उक्त दिशानिर्देशों को एक स्थान पर समेकित और अद्यतित करने का प्रयास किया गया है, जो इस प्रकार हैं

2. भाग क-अ.भा.से. अधिकारियों को सतर्कता निकासी प्रदान किया जाना

- i. अ.भा.से. अधिकारियों को सतर्कता निकासी प्रदान करने के संबंध में ये आदेश निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे (क) प्रस्ताव सूची में समावेशन (ख) पैनलीकरण (ग) प्रतिनियुक्ति सहित अ.भा.से.(संवर्ग) नियमावली के नियम 6(1)और 6(2)(ii) के अंतर्गत कोई प्रतिनियुक्ति, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है,(घ) संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां (ङ) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए असाइनमेंट (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर) (च) संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन। इन सभी मामलों में, सतर्कता की स्थिति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जा सकता है और निर्णय लेने से पहले उस पर विचार किया जा सकता है।
- ii. जिन परिस्थितियों में सतर्कता निकासी रोक नहीं जाएगी, वे निम्नानुसार होंगी:
 - (क) किसी शिकायत के दर्ज किए जाने के कारण सतर्कता निकासी को तब तक नहीं रोका जाएगा, जब तक कि यह कम से कम किसी प्रारंभिक जांच के आधार पर अथवा संबंधित सरकार के पास पहले से मौजूद किसी भी जानकारी के आधार पर स्थापित न हो कि (i) भ्रष्टाचार (ii) आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखना (iii) नैतिक भ्रष्टता (iv) अ.भा.से. आचरण नियमावली के उल्लंघन के बारे में सत्यापन योग्य आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया आधार है।

- (ख) यदि उपर्युक्त 2(ii)(क) में उल्लिखित प्रारंभिक जांच को पूरा होने में तीन महीने से अधिक का समय लगता है तो सतर्कता निकासी को रोका नहीं जाएगा।
- (ग) सतर्कता निकासी तब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक (i) अधिकारी निलंबनाधीन है (ii) अधिकारी सहमत सूची में है, बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में स्थिति का एक वर्ष की अवधि के बाद अनिवार्य रूप से पुनः अवलोकन किया जाएगा (iii) अधिकारी के विरुद्ध किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप-पत्र जारी किया गया है तथा कार्यवाही लंबित है। (iv) अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं, बशर्ते कि ऐसा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर आरोप-पत्र तामील किया गया हो (v) किसी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया हो और मामला लंबित हो (vi) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामला प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं बशर्ते कि कार्यवाही शुरू किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर आरोप-पत्र तामील किया गया हो (vii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अथवा किसी अन्य आपराधिक मामले के तहत किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या अभियोजन के लिए संस्वीकृति दी गई है (viii) अधिकारी के विरुद्ध संबंधित सरकार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है अथवा मामला दर्ज किया गया है, बशर्ते कि आरोपपत्र प्राथमिकी/मामला दर्ज करने/पंजीकरण करने की तारीख से तीन माह के भीतर तामील किया गया हो (ix) अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रेप/छापे के मामले में शामिल है और जांच लंबित है।
- (घ) निजी शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के कारण सतर्कता निकासी तब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक कि जांच एजेंसी द्वारा आरोपपत्र दायर नहीं किया गया हो, बशर्ते कि सक्षम न्यायालय द्वारा इसके विपरीत कोई निर्देश न दिया गया हो।
- (ङ) यदि जांच एजेंसी दो साल की अवधि के बाद भी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई है तथा आरोप दायर नहीं कर पाई है तो अभियोजन के लिए संस्वीकृति के पश्चात् भी सतर्कता निकासी को नहीं रोका जाएगा। तथापि, ऐसी सतर्कता निकासी अधिकारी को केवल गैर-संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए जाने और संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के लिए विचार किए जाने का हकदार बनाएगी न कि उपर्युक्त पैरा 2(i) में सूचीबद्ध किसी अन्य व्यवस्था के लिए।
- (च) यदि कोई अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16 के तहत भारत सरकार के निर्णयों के अधीन अपेक्षित अगले वर्ष की 31 जनवरी तक पिछले वर्ष की अपनी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न जमा करने में विफल रहता है तो उसे सतर्कता निकासी से इनकार कर दिया जाएगा।

- iii. ऐसे मामलों में जहां शिकायतें राज्य को संदर्भित की गई हैं और संदर्भ दिए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य से कोई ठोस प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को उसकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए शिकायत की एक प्रति उपलब्ध करा सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा टिप्पणियां प्रथम दृष्टया संतोषजनक पाई जाती हैं, तो सतर्कता निकासी प्रदान की जाएगी।
- iv. निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोजन की संवेदनशीलता, आरोपों की गंभीरता और तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता निकासी का निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाएगा।
- (क) जहां जांच एजेंसी को आरोप में कोई ठोस आधार नहीं मिला है, लेकिन न्यायालय ने एफआईआर बंद करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
- (ख) जहां जांच एजेंसी/आईओ आरोपों को साबित कर देता है लेकिन राज्य सरकार की राय इसके विपरीत होती है।
- v. किसी बैच विशेष के अ.भा.से. अधिकारियों के पैनलीकरण के प्रयोजनार्थ सतर्कता निकासी प्रदान करने के मामलों पर विचार करते समय, संबंधित राज्य सरकार से सतर्कता निकासी/स्थिति सुनिश्चित की जाती रहेगी, केंद्र सरकार के मामलों के संबंध में सेवारत अधिकारियों के संबंध में सतर्कता स्थिति/निकासी संबंधित मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी। सभी मामलों में, सीवीसी की टिप्पणियां भी प्राप्त की जाएंगी। तथापि, यदि तीन माह की अवधि के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित निकाय के रिकॉर्ड में अधिकारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है।
- vi. सेवा में अपनी वरिष्ठता से एक स्तर नीचे तक के अधिकारियों के लिए सभी मामलों में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख के अनुमोदन से सतर्कता निकासी जारी की जाएगी। अपर सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों के मामले में, इसे सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाएगा। संदेह के मामले में, सचिव का आदेश उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया जाएगा जिसके लिए मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा 'सतर्कता निकासी' अपेक्षित है।
- vii. यदि किसी अधिकारी पर मामूली शास्ति लगाई गई है तो सामान्यतः सजा की अवधि के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी। कोई बड़ी शास्ति लगाए जाने की स्थिति में सामान्यतः सजा की अवधि के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, अधिकारी के प्रदर्शन को ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए।

भाग ख- केंद्रीय सिविल सेवाओं/केंद्रीय सिविल पदों के सदस्यों को सतर्कता निकासी प्रदान किया जाना

- i. केंद्रीय सिविल सेवाओं/पदों के सदस्यों को सतर्कता निकासी प्रदान करने के संबंध में ये आदेश निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे (क) पैनलीकरण (ख) कोई प्रतिनियुक्ति जिसके लिए निकासी आवश्यक है (ग) संवेदनशील पदों पर नियुक्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में असाइनमेंट (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर)। इन सभी मामलों में, सतर्कता स्थिति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जा सकता है और निर्णय लेने से पहले इन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।
- ii. जिन परिस्थितियों में सतर्कता निकासी रोक नहीं जाएगी, वे निम्नानुसार होंगी:
 - (क) किसी शिकायत के दर्ज किए जाने के कारण सतर्कता निकासी को तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि यह कम से कम किसी प्रारंभिक जांच के आधार पर अथवा संबंधित विभाग के पास पहले से मौजूद किसी भी जानकारी के आधार पर स्थापित न हो कि (i) भ्रष्टाचार (ii) आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखना (iii) नैतिक अधमता (iv) सीसीएस आचरण नियमावली, 1964 के उल्लंघन के बारे में सत्यापन योग्य आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया आधार है।
 - (ख) यदि उपयुक्त 3(ii)(क) में उल्लिखित प्रारंभिक जांच को पूरा होने में तीन महीने से अधिक का समय लगता है तो सतर्कता निकासी को रोका नहीं जाएगा।
 - (ग) सतर्कता निकासी तब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक (i) अधिकारी निलंबनाधीन है (ii) अधिकारी सहमत सूची में है, बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में स्थिति का एक वर्ष की अवधि के बाद अनिवार्य रूप से पुनः अवलोकन किया जाएगा (iii) अधिकारी के विरुद्ध किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप-पत्र जारी किया गया है तथा कार्यवाही लंबित है (iv) अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं, बशर्ते कि ऐसा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर आरोप पत्र तामील किया गया हो (v) किसी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया हो और मामला लंबित हो (vi) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामला आरंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं बशर्ते कि कार्यवाही शुरू किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर आरोपपत्र तामील किया गया हो (vii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अथवा किसी अन्य आपराधिक मामले के तहत किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या अभियोजन के लिए संस्वीकृति दी गई है (viii) अधिकारी के विरुद्ध संबंधित विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है अथवा मामला दर्ज किया गया है, बशर्ते कि आरोपपत्र प्राथमिकी/मामला दर्ज करने/पंजीकृत करने की

तारीख से तीन माह के भीतर तामील किया गया हो (ix) अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रेप/छापे के मामले में शामिल है और जांच लंबित है।

- (घ) निजी शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के कारण सतर्कता निकासी तब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक कि जांच एजेंसी द्वारा आरोपपत्र दायर नहीं किया गया हो, बशर्ते कि सक्षम न्यायालय द्वारा इसके विपरीत कोई निर्देश न दिया गया हो।
- (ङ) यदि जांच एजेंसी दो साल की अवधि के बाद भी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई है तथा आरोप दायर नहीं कर पाई है तो अभियोजन के लिए संस्वीकृति के पश्चात् भी सतर्कता निकासी को नहीं रोका जाएगा। तथापि, ऐसी सतर्कता निकासी अधिकारी को केवल गैर-संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए जाने और संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के लिए विचार किए जाने का हकदार बनाएगी न कि उपर्युक्त पैरा 3(ii)(क) में सूचीबद्ध किसी अन्य व्यवस्था के लिए।
- (च) यदि कोई अधिकारी सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के तहत भारत सरकार के निर्णयों के अधीन अपेक्षित अगले वर्ष की 31 जनवरी तक पिछले वर्ष की अपनी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न जमा करने में विफल रहता है तो उसे सतर्कता निकासी से इनकार कर दिया जाएगा।
- iii. ऐसे मामलों में जहां शिकायतें संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित की गई हैं और संदर्भ दिए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी से कोई ठोस प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, अनुशासनिक प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को उसकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए शिकायत की एक प्रति उपलब्ध करा सकता है। यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा टिप्पणियां प्रथम दृष्टया संतोषजनक पाई जाती हैं, तो सतर्कता निकासी प्रदान की जाएगी।
- iv. निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोजन की संवेदनशीलता, आरोपों की गंभीरता और तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता निकासी का निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाएगा।
- (क) जहां जांच एजेंसी को आरोप में कोई ठोस आधार नहीं मिला है लेकिन न्यायालय ने एफआईआर बंद करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
- (ख) जहां जांच एजेंसी/जांच अधिकारी आरोपों को साबित कर देता है लेकिन सक्षम प्रशासनिक अधिकारी की राय इसके विपरीत होती है।
- v. किसी बैच विशेष के केंद्रीय सिविल सेवाएं/केंद्रीय सिविल पदों के सदस्यों का पैनलीकरण करने के प्रयोजनार्थ सतर्कता निकासी प्रदान करने के मामलों पर विचार करते समय, संबंधित संवर्ग प्राधिकारी से सतर्कता निकासी/स्थिति सुनिश्चित की जाती रहेगी। ऐसे

सभी मामलों में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियां भी प्राप्त की जाएंगी। तथापि, यदि तीन माह की अवधि के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित निकाय के रिकॉर्ड में अधिकारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है।

- vi. सेवा में अपनी वरिष्ठता से एक स्तर नीचे तक के अधिकारियों के लिए सभी मामलों में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख के अनुमोदन से सतर्कता निकासी जारी की जाएगी। अपर सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों के मामले में, इसे सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाएगा। संदेह के मामले में, सचिव का आदेश उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया जाएगा जिसके लिए मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा सतर्कता निकासी अपेक्षित है।
- vii. यदि किसी अधिकारी पर छोटी शास्ति लगाई गई है तो सामान्यतः सजा की अवधि के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी। कोई बड़ी शास्ति लगाए जाने की स्थिति में सामान्यतः सजा की अवधि के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए सतर्कता निकासी नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, अधिकारी के प्रदर्शन को ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए।
- viii. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात् जारी किए गए हैं।

(प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

रूपेश कुमार

अवर सचिव

23094799